उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास समिति
(महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड)
राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई
निकट–नन्दा की चौकी, सुद्धौवाला, प्रेमनगर, देहरादून
E-mail-uwcds2008@gmail.com Tel No. 0135-2775713 Tel./Fax No. 0135-2775992

पत्रांक संख्या / /UWCDS/2015-16 दिनांकः फरवरी 2015

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड महिला समेकित विकास योजना

महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार की एक महत्वकांक्षी पहल

उत्तराखण्ड राज्य में महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रयोगशाला के रूप में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण हेतु उत्तराखण्ड महिला समेकित विकास योजना की अवधारणा की गयी, जिसमें महिलाओं की शक्ति का सद्पयोग करते हुए महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु लाभकारी परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। विशेषकर महिला कार्यबोझ में कमी लाते हुए उनके स्वास्थ्य सुधार एवं लाभप्रद स्वरोजगार प्रदान करने सम्बन्धी लक्ष्यों को दृष्टिगत् रखते हुए महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तता प्रदान करने की दृष्टि से लाभकारी, उपयुक्त एवं अभिनव परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

अर्हता–

1. सरकारी संस्थान/एजेन्सी, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान एवं प्रतिष्ठित गैर सरकारी स्वयं सेवी संस्थाएँ एवं रजिस्ट्रर्ड एजेन्सी, जो महिला विकास क्षेत्र में न्यूनतम 05 वर्ष का अुनभव रखती हों, द्वारा अपने प्रस्ताव प्राप्त कराये जा सकते हैं।
2. गैर सरकारी संस्थान/स्वयं सेवी संस्थाएँ/एजेन्सी उत्तराखण्ड राज्य में ही कम से कम 03 वर्ष पूर्व सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट/कम्पनी एक्ट/भारतीय ट्रस्ट एक्ट में पंजीकृत होनी अनिवार्य है तथा संस्था का विगत् 03 वर्ष का आडिट वार्षिक व्यय सी0ए0 द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
3. संस्था/एजेन्सी का विगत 03 वर्षो का औसतन आय–व्यय न्यूनतम 25.00 लाख का होना अनिवार्य है।
4. संस्था/एजेन्सी किसी भी सरकारी विभाग/संस्थान से काली सूची में दर्ज न हों।

इच्छुक संस्था/एजेन्सी अपना आवेदन उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास समिति के उपरोक्त पते पर दिनांक 05 मार्च 2016 सांय 4.30 बजे तक जमा कर सकते हैं। आवेदन को जमा करने का प्रपत्र विभाग की वैबसाइट www.wecd.uk.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। परियोजना प्रस्ताव पर सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी अथवा जिलाधिकारी की संस्तुति अनिवार्य है। उक्त के संबन्ध में योजना के अंतर्गत प्रस्ताव चयन से सम्बन्धित समस्त अधिकार उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास समिति के पास नियत रहेंगे।

निदेशक/उपाध्यक्ष
उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास समिति